भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 271

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: **किसानों के लिए कौशल विकास योजनाएं**

271. श्री दुरई वाइकोः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित/प्रशिक्षित किए गए किसानों की संख्या का वर्षवार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई जिलों में संबंधित योजनाओं के अंतर्गत आबंटित/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार ने किसानों को नवीनतम कौशल आवश्यकताएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं और कार्यान्वित कर रही है।

सरकार ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) को कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उनके ज्ञान और कौशल के उन्नयन और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण (7 दिन की अवधि) प्रदान करना है। इस घटक का उद्देश्य कुशल श्रमशक्ति का एक पूल बनाने के लिए कृषि आधारित व्यावसायिक क्षेत्रों में किसानों एवं ग्रामीण युवाओं को अल्पकालिक कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। हाल ही में, एसटीआरवाई कार्यक्रम को एटीएमए कैफेटेरिया के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

सरकार देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, ताकि वे एकल खिड़की से कृषि ज्ञान, संसाधन और क्षमता विकास केंद्र के रूप में कार्य कर सकें, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन और इसके उपयोग तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रदर्शन करना है। केवीके

अपनी गतिविधियों के एक भाग के रूप में, किसानों, कृषक महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (फसल उत्पादन, बागवानी, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, गृह विज्ञान/महिला सशक्तिकरण, कृषि इंजीनियरिंग, पौध संरक्षण, मत्स्य पालन, क्षेत्र पर इनपुट का उत्पादन, कृषि वानिकी आदि) के विभिन्न पहलुओं पर उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश भर में 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन' पर एक केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की गई है, जिसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के रूप में जाना जाता है। यह योजना देश में विकेन्द्रीकृत किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य विस्तार प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करना और किसानों, कृषक महिलाओं और युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीकों और कुशल कृषि प्रथाओं को विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरे, किसान मेला आदि के माध्यम से उपलब्ध कराना है। वर्तमान में यह योजना देश के 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 739 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 'कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन' (एसएमएएम) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए देश भर में चार फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफएमटीटीआई) बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), गेराल्डिन (आंध्र प्रदेश) और बिस्वानाथ चरियाली (असम) में कार्यरत हैं, जो किसानों, तकनीशियनों, स्नातक इंजीनियरों, उद्यमियों जैसे विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को कृषि उपकरणों के चयन, संचालन, मरम्मत और रखरखाव, ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन पर कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक छत्रक योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को कार्यान्वित किया गया है। राज्यों को जिला/राज्य कृषि योजना के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित अपनी कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास गतिविधियों को चुनने की अनुमति देने का प्रावधान है।

जुलाई 2015 में सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा विकसित अनुमोदित योग्यता पैक के अनुसार ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए न्यूनतम 200 घंटे की अवधि के कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। हाल ही में, इस कार्यक्रम को एटीएमए कैफेटेरिया के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास योजनाओं के तहत लाभान्वित/प्रशिक्षित किसानों की संख्या का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	योजना	प्रशिक्षित किसानों की संख्या			कुल
		2021-22	2022-23	2023-24	
1.	एसटीआरवाई	10456	11634	20940	43030
2.	केवीके	1691744	1953220	2156363	5801327
3.	एटीएमए	1359069	1428446	1207207	3994722
4.	एसएमएएम	13261	15440	14971	43672
5.	आरकेवीवाई	--	3799	2951	6750
6.	एमएसडीई	3470	3715	718	7903
	कुल	3078000	3416254	3403150	9897404

(ख): तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई जिलों में संबंधित योजनाओं के अंतर्गत आबंटित/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जिला: तिरुचिरापल्ली

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	योजना	2021-22		2022-23		2023-24	
		आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
1.	एसटीआरवाई	0.42	0.42	0.42	0.42	1.26	1.26
2.	एटीएमए	51.5	51.5	24.9	24.9	21	21
3.	टीएनएसडीसी एसटीआरवाई	0.88704	0.88704	0.68544	0.68544	--	--
	कुल	52.80704	52.80704	26.00544	26.00544	22.26	22.26

स्त्रोत: राज्य कृषि विभाग, तमिलनाडु सरकार

जिल्हा : पुदुकोट्टई

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	योजना	2021-22		2022-23		2023-24	
		आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
1.	एसटीआरवाई	0.84	0.84	0.42	0.42	1.26	1.26
2.	एटीएमए	56.40	56.40	39.50	39.50	19.60	19.60
3.	टीएनएसडीसी एसटीआरवाई	1.69	1.65	0.60	0.58	--	--
	कुल	58.93	58.89	40.52	40.50	20.86	20.86

स्त्रोत: राज्य कृषि विभाग, तमिलनाडु सरकार।

*****